

## Lkh-i-h, e-Vh&2012 | s | cf/kr e[; frffk; k]

|    |   |             |                         |
|----|---|-------------|-------------------------|
| 1  | फार्म बिक्री प्रारम्भ   | बृहस्पतिवार | 19 अप्रैल, 2012         |
| 2  | फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि   | मंगलवार     | 8 मई, 2012              |
| 3  | फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि   | शनिवार      | 12 मई, 2012             |
| 4  | प्रवेश पत्र प्रेषित करने की अन्तिम तिथि                                   | मंगलवार     | 22 मई, 2012             |
| 5  | प्रवेश परीक्षा तिथि   | रविवार      | 03 जून, 2012            |
| 6  | परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि   | बृहस्पतिवार | 14 जून, 2012            |
| 7  | स्कूटनी हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि   | बृहस्पतिवार | 21 जून, 2012            |
| 8  | प्रथम चक्र की कांउसिलिंग  |             | 25 जुलाई, 2012 से पूर्व |
| 9  | प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि   | मंगलवार     | 31 जुलाई, 2012          |
| 10 | द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग  |             | 28 अगस्त, 2012 तक       |
| 11 | द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि | बृहस्पतिवार | 30 अगस्त, 2012          |
| 12 | शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ   | बुधवार      | 01 अगस्त, 2012          |
| 13 | प्रवेश की अन्तिम तिथि   | रविवार      | 30 सितम्बर, 2012        |

### IMPORTANT TIPS

1. Designated branches of Allahabad Bank will provide the INFORMATION BROCHURE after payment of examination fee in cash, Rs.1050.00+30.00 (Bank Charges) including counselling charges (Rs. 50.00) for General/OBC Candidates, and Rs.550.00+30.00 (Bank Charges) including counselling charges (Rs.50.00) for SC/ST Candidates.
2. The brochure includes an application form which is in the form of an OMR sheet.
3. The Brochure should be thoroughly studied before filling the Application Form.
4. The Application Form is to be filled up on the basis of the information contained in the Brochure.
5. The candidate must ensure his/her eligibility to appear in the CPMT-2012 on his own and shall be personally responsible for the same. The examining body shall not be responsible for this verification. His/Her candidature shall be cancelled anytime before/after the examination if he is found not eligible at anytime.
6. The OMR sheet is to be filled with utmost care with dark blue or black Ball Point Pen. (Do not use Felt/Sketch pen) There should not be any overwriting or cutting.
7. The duly filled OMR Application Form, is to be submitted by the Registered/Speed Post placed in the envelop without folding, to the Chairman, C.P.M.T.-2012, CSM Medical University, U.P., Lucknow-226 003 U.P.
8. Write your OMR Serial Number on the envelope along with your address with PIN Code and Phone number.
9. Admit Card along with your Roll Number, shall be available for download at website [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in)
10. Admit Card shall NOT be sent by Post.

### fo'ksk | puk @ IMPORTANT NOTICE

कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित बैंक के अलावा कहीं से भी आवेदन पत्र व ब्रोशर प्राप्त न करें। अभ्यर्थियों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि बैंक से ही निर्धारित शुल्क देकर सही एवं सत्य आवेदन—पत्र प्राप्त करें। जाली आवेदन—पत्र अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ इस कारण से हुई किसी भी अभ्यर्थी की आर्थिक या अन्य प्रकार की किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सी.पी.एम.टी.—2012 का भरा हुआ आवेदन चेयरमैन सी.पी.एम.टी.—2012 छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ को स्पीड-पोस्ट / पंजीकृत डाक से ही भेजें। कुरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करना वर्जित है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि चेयरमैन सी.पी.एम.टी.—2012 के द्वारा केवल सी.पी.एम.टी.—2012 की परीक्षा का आयोजन और इसका परिणाम घोषित किया जायेगा। प्रवेश/कालेज आवंटन काउंसिलिंग बोर्ड के चेयरमैन जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ.प्र. लखनऊ हैं के द्वारा किया जायेगा।

**vko' ; d fun&k  
(How to Apply and Important Instructions)**

**vko' ; d fun&k**

1. सी.पी.एम.टी.-2012 की सूचना पुस्तिका इलाहाबाद बैंक की चिंहित शाखा से परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त की जा सकती है। सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क ₹.1050 + 30 (बैंक व्यय) होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पुस्तिका का परीक्षा शुल्क ₹.550 + 30 (बैंक व्यय) होगा। इसमें काउंसिलिंग के ₹. 50/- भी सम्मिलित हैं।
  2. पुस्तिका में ओ.एम.आर. शीट के रूप में आवेदन—पत्र भी संलग्न है।
  3. पुस्तिका में दिये गये निर्देशों/सूचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
  4. आवेदन पत्र को पुस्तिका में दिये गये निर्देशों/सूचनाओं के आधार पर ही भरें।
  5. अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले परीक्षा में बैठने की अपनी अहर्ता का आंकलन स्वयं कर लेना चाहिये। इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा एवं परीक्षक संस्था किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगी।
  6. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरें। इसे भरने के लिए काली या नीली स्थाही के बॉल—प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें। इसमें कोई ओवरराइटिंग अथवा कटिंग न करें। फैल्ट/स्क्रेच पेन तथा पेन्सिल का प्रयोग न करें।
  7. आवेदन—पत्र प्रारूप ओ.एम.आर. (O.M.R.) पत्र पर है, अतः इसको पूर्णतः त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। आवेदन—पत्र जमा होने के पश्चात इसमें संशोधन संभव नहीं है।
- पहले आवेदन पत्र की फोटो प्रतिलिपि बनाकर उस पर अभ्यास कर लें। निशान लगाने के बाद उसे बदलना असंभव है। मिटाकर बदलने का प्रयास भी न करें।
8. आवेदन—पत्र में कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा फर्जी प्रमाण—पत्र के आधार पर प्रवेश पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
  9. आवेदन—पत्र के साथ कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं करने हैं।
  10. श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  11. भविष्य में पत्र—व्यवहार में ओ.एम.आर. (O.M.R.) आवेदन—पत्र के क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें। पूर्णतया भरे हुए आवेदन—पत्र की एक फोटो प्रतिलिपि अपने पास भविष्य में प्रयोग के लिए अवश्य रख लें।
  12. पूर्णतया भरी ओ.एम.आर. (O.M.R.) शीट को बिना मोड़े लिफाफे के अन्दर रखकर रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट से “चेयरमैन सी.पी. एम.टी.-2012, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ-226003” को प्रेषित करें। (कोरियर द्वारा न भेजें)
  13. लिफाफे पर अपने पते के साथ ओ.एम.आर. शीट का क्रमांक भी अकित करें।
  14. प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा।
- 22 मई 2012 से प्रवेश पत्र वेबसाइट [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in) पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्रिंट कर लें। कोई Duplicate Admit Card नहीं भेजा जायेगा।
15. Duplicate Admit Card परीक्षा केन्द्र से 2 जून 2012 को सांयं 3–5 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है।
  16. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में आयें ताकि O.M.R. Answer Sheet पर वांछित विवरण ठीक से भर सकें एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए समुचित समय मिल सके। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा।
  17. अभ्यर्थी के आवेदन—पत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी। परंतु काउंसिलिंग के समय मूल प्रमाण—पत्र देखकर यह निर्धारित किया जायेगा कि उसके द्वारा आवेदित आरक्षित श्रेणी का लाभ उसे दिया जाये अथवा नहीं। इस विषय पर काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। इस आधार पर कि उसे प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी है, कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं होगा।
  18. यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय उपयुक्त सभी मूल प्रमाण पत्र, एवं स्वतः सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे उस काउंसिलिंग में कथित लाभ अनुमन्य नहीं होगा परंतु वह अगली काउंसिलिंग में वांछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर सकता है/भाग ले सकता है।
  19. यदि अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग में अनुपरिधि रहता है तब भी उसे आगे होने वाली काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति बनी रहेगी। सभी अह अभ्यर्थी काउंसिलिंग संबंधी सूचनाओं का अध्ययन कर वांछित प्रमाण—पत्र, अभिलेख एवं बैंक ड्राइफ्ट के साथ काउंसिलिंग में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को ही भाग लेना होगा।
  20. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन—पत्र अंतिम तिथि से पहले ही जमा कर दें।
  21. प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन—पत्र जमा करें। एक से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दोनों ही निरस्त कर दिये जायेंगे।
  22. विश्वविद्यालय की वेब साइट [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in) पर सभी संबंधित एवं आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
  23. अभ्यर्थी अपना प्रवेश—पत्र सुरक्षित रखें। प्रवेश—पत्र न होने की दशा में परीक्षा/काउंसिलिंग में भाग लेने के अधिकारी नहीं होंगे।

### ***Important Note regarding Photograph***

**Photograph should be**

1. High contrast 3.5x4.5cm size colour photograph with full front face facing camera, no cap, no hat, no dark glasses and on white background (Compulsory).
  2. Top of hair to bottom of chin should measure 2cm. (Compulsory).
  3. Polaroid and inkjet photos are NOT acceptable.
  4. Applications with poor quality photo would be rejected.
  5. Photograph MUST be taken on or after 01.02.2012 and make 10 copies of the photograph, which will be used for counselling, admission etc.
  6. Photograph must be taken with a placard in front of the candidate carrying the name of the candidate and the date on which the photograph is being taken.
  7. The name and date on the photograph must be clear and legible and should not be digitally composed after taking photo.

*QksVksxtQ I EcflUkr egRRoiwkZ I puk*

- 1- mRre DokfyVh dh ja<sup>h</sup>u Qk<sup>l</sup>ksdk l kbt 3.5x4.5cm g<sup>k</sup>uk vko'; d g<sup>s</sup>rFkk ij<sup>k</sup> pgjk d<sup>e</sup>js dks n<sup>s</sup>kr<sup>s</sup> gq I Qn c<sup>d</sup> xkm<sup>M</sup> i j] fcuk dkys p'e<sup>j</sup> fcuk V<sup>k</sup>h ds g<sup>k</sup>uk vko'; d g<sup>A</sup>
  - 2- I j ds cky<sup>k</sup> ds Åi jh fl js I s B<sup>M</sup>Mh ds fupys fl js dh njh de I s de 2 I e<sup>h</sup> g<sup>k</sup>uk vko'; d g<sup>A</sup>
  - 3- i ky<sup>j</sup>k<sup>M</sup> d<sup>e</sup>jk o b<sup>d</sup>t<sup>V</sup> fi<sup>N</sup>j ds Qk<sup>l</sup>ks e<sup>k</sup>l; ugha g<sup>k</sup>xa
  - 4- fuEudk<sup>F</sup>V ds Qk<sup>l</sup>ks ds I kFk vkonu fujLr dj fn; s tk; x<sup>A</sup>
  - 5- Qk<sup>l</sup>ks 1 Qjojh 2012 I s i gys dk u g<sup>k</sup>s ,oabl dh 10 i fr; k<sup>j</sup> cuokdj j [k<sup>a</sup> t<sup>k</sup> dkm<sup>f</sup> fy<sup>x</sup>] i d<sup>k</sup> k bR; kfn e<sup>h</sup> dke vk; x<sup>A</sup>
  - 6- vkonu&i = e<sup>h</sup> d<sup>k</sup>oy ja<sup>h</sup>u Qk<sup>l</sup>ksQ fp i dkus ds fy, Qk<sup>l</sup>ksQ f[k<sup>p</sup>okrs l e; , d Nk<sup>l</sup>s dkM<sup>Z</sup> i j vi uk uke rFkk Qk<sup>l</sup>ks f[k<sup>p</sup>okus okys fnu dh rkjh[k fy[kdj vi us l hus ds i kl vo'; j [k<sup>a</sup>rkfd og l hus ds i kl Qk<sup>l</sup>ks ea Li "V : i l s vo'; Ni<sup>A</sup>
  - 7- Qk<sup>l</sup>ks i j uke o rkjh[k Li "V fy[k<sup>a</sup> i jUrq dEl; Wj I s d<sup>k</sup>st+u dj<sup>A</sup>

## **Helpline No. (Between 11AM to 5PM on working days)**

**Telephone :**      **8004707085,**  
**8853425480**

**E-mail:** upcpmt2012@gmail.com

**Fax No. :** 0522-2257888

**Website:** [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in)

vi us vks, e-vkj- 'khV dk uEcj ; gkij vHkh fy[k yA  
bl h uEcj ds vki/kkj ij vki dks bUVju\\$ ij iøsk i= feysekA

**fo"k; I ph  
(Index)**

|   | पृष्ठ संख्या |
|---|--------------|
| 1. सामान्य सूचनाएं                          | 5            |
| 2. परीक्षा कार्यक्रम                        | 5            |
| 3. अर्हताएं                                 | 6–7          |
| 4. आरक्षण                                   | 7–8          |
| 5. प्रवेश—पत्र                              | 8–9          |
| 6. अनुचित साधन                              | 9            |
| 7. चयन एवं काउंसिलिंग                       | 9–10         |
| 8. कॉलेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या | 11           |
| 9. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम                 | 12           |
| 10. आरक्षण श्रेणियों के कोड                 | 12           |
| 11. प्रमाण—पत्रों के प्रारूप                | 13–18        |
| 12. O.M.R. शीट संबंधित निर्देश              | 19–20        |
| 13. इलाहाबाद बैंक के चिह्नित शाखाओं की सूची | 21–24        |
| 14. आवेदन—पत्र का प्रारूप                   | बैंक कवर पर  |

**egRoi wkl I puk  
(Important Information)**

1. यह विवरण पुस्तिका उत्तर प्रदेश शासनादेश सं. 598 / 71–2–12–127 / 2011 दिनांक 17 फरवरी 2012 के अनुसार बनाई गई है। विवरण पुस्तिका तथा शासनादेश में विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।
2. शासन को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय आदेशों को संशोधन करने का अधिकार है, तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों— कालेज में किसी भी समय कोई भी संशोधन करने का भी अधिकार रहेगा।
3. सी.पी.एम.टी.–2012 परीक्षा से संबंधित समस्त विधिक विवाद उ.प्र. उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि सी.पी.एम.टी.–2012 के आयोजन में परीक्षाएं एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने तक का कार्य छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ द्वारा संपन्न कराया जायेगा। इस विषय में किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित पते पर संपर्क स्थापित करें।

चेयरमैन,

सी.पी.एम.टी.–2012

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ–226003 (उत्तर प्रदेश)

5. मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न अर्ह श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड के द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
6. छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ द्वारा सी.पी.एम.टी.–2012 के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाता है, और न ही ऐसे किसी संस्थान से उसका कोई संबंध है।
7. कॉलेजों के नाम, सीटों की संख्या, आरक्षण नीति तथा नियम इत्यादि, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उ.प्र. तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गयी हैं। इसके लिये परीक्षा संस्था छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ का कोई दायित्व नहीं है।

**pskouh**

vkosu i = I ph eavfdr bykgkcn c& dh fpgr ckpal sgh i klr dj& vkosu i = tkyh vFkok Nk; k i fr  
ik; s tkus i j rj;r fujLr dj fn; k tk; xkA  
vH; Fkz vi uh vgzk Lo; ar; dj y& ijkk l Fkk ;g r; ughadjskA dkmfl fyk ;k ml ds i 'pkr Hkh ;g  
xyr ik; s tkus i j vH; Fkz dh mEhnokjh fujLr dj nh tk; xkA

## 1- dEckbM i h esMdy VtV&2012 ॥ h-i h, e-Vt-&2012½ ds | nHk ea | kekJ; | puk (General Information related to Combined Pre-Medical Test-2012)

- (क) सी.पी.एम.टी.-2012 का आयोजन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2012-2013 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु किया जायेगा।
1. एम.बी.बी.एस.
  2. बी.डी.एस.
  3. बी.एच.एम.एस.
  4. बी.ए.एम.एस.
  5. बी.यू.एम.एस.
- (ख) सी.पी.एम.टी.-2012 में चार विषयों में केवल एक ही प्रश्नपत्र होगा तथा परीक्षा एक ही दिन (रविवार 03 जून, 2012) में तथा एक ही पाली में निम्न कार्यक्रमानुसार होगी:
- एक प्रश्नपत्र : रसायनविज्ञान, भौतिकविज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान।
- समय : प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे अपराह्न तक।
- प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात् प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा। प्रश्न इंटरमीडिएट (10+2) यू.पी. बोर्ड स्तर के होंगे।
- (ग) चयनित अभ्यर्थियों को हिंदी विषय का एक प्रश्नपत्र जो हाईस्कूल स्तर के सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण किये बिना चयनित अभ्यर्थी डिग्री के लिए अहं नहीं होंगे। यह परीक्षा बाद में शासनादेश संख्या 4171 / 71-3-07-52 / 2007 दिनांक 14 नवम्बर 2007 की व्यवस्था के अनुसार होगी।
- (घ) सभी विषयों के प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होंगे तथा निर्गेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- (ङ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक अर्हताएं मद संख्या 3 में दी गयी हैं।
- (च) सी.पी.एम.टी.-2012 के परीक्षक मंडल द्वारा प्रश्नपत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप से मान्य होंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केवल Computer द्वारा ही होगा। किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जायेगा। परन्तु पुनरीक्षण (Scrutiny) का प्रावधान है। विश्वविद्यालय द्वारा O.M.R. Sheet की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
- (छ) प्रश्न पत्र के उत्तर के लिये परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त पूरा 3 घण्टे का समय दिया जायेगा।
- (ज) परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में ही छोड़ कर जाना होगा।
- (झ) परीक्षाफल घोषित होने के बाद शीघ्र ही प्रश्न पत्र के सही उत्तर (Key) वेबसाइट [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in) पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- (ञ) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, (लखनऊ बैंच) द्वारा सी.पी.एम.टी. के संबंध में पारित आदेशों का अनुपालन माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 418/एम./बी. ३०५ 1998 के विरुद्ध अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश के अधीन होगा।

## 2- ijHkk dk; Øe (Examination Schedule)

सी.पी.एम.टी.-2012 का कार्यक्रम  
परीक्षा तिथि— 3 जून, 2012 (रविवार)

समय

प्रश्न पत्र

प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे अपराह्न तक

Only One Paper Containing Zoology (जंतु विज्ञान),  
Botany (वनस्पति विज्ञान), Chemistry (रसायन विज्ञान) and  
Physics (भौतिक विज्ञान)

टिप्पणी :

1. परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाये।
2. परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल, डिजिटल डायरी इत्यादि या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर फोन, ब्लूटूथ आदि) लाना वर्जित है।
3. सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए समय से 90 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर स्थान ग्रहण करें तथा उत्तरपुस्तिका में आवश्यक सूचनाएं प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर लें। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
4. प्रश्न-पत्र पर लगी हुई सील केन्द्र अधीक्षक के आदेशानुसार ध्वनि संकेत पर कक्ष निरीक्षक द्वारा घोषणा किये जाने पर ही तोड़ें।
5. प्रश्न-पत्र में सम्मिलित प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में रचित होंगे।
6. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को विभिन्न सुरक्षा जाँच से गुज़रना पड़ सकता है। परीक्षा केन्द्र पर उनकी फोटोग्राफी की जायेगी व बायोमेट्रिक स्कैन, फिंगर प्रिंट इत्यादि लिया जायेगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य रहेगी और अगर अभ्यर्थी इससे विमुख होता है तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जायेगा।
7. सुरक्षा जाँच हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात भी रुकना पड़ सकता है। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी अपनी वापसी की यात्रा इसे ध्यान में रखते हुये प्लान करें।

### 3- vgṛk, a (Eligibility)

(क) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा मद संख्या 11 में प्रमाण पत्र-1 की टिप्पणी में दी गयी है। जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उ.प्र. से उत्तीर्ण की हो, उन्हें उ.प्र. में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों, अथवा इन दो में से एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो तो उन्हें उ.प्र. के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा।

#### 4.1.2 vṛk; q | hek

प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 31 दिसंबर 1995 को या उसके पूर्व हुआ हो। आयु के सम्बन्ध में कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी।

#### 4.1.2 'ks{kd vgṛk

4.1.2 अभ्यर्थी को किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण/परीक्षण संस्थान द्वारा संचालित इंटरमीडिएट (विज्ञान) या समकक्ष परीक्षा में भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवविज्ञान (जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा भी शामिल होगी) तथा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया/डेण्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होंगी, जो कि निम्नवत हैः—

(a) The Higher Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 higher secondary examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research & Training after the introduction of the 10+2+3 years educational structure as recommended by the National Committee on Education;

Note: Where the course contents is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical/Dental/Ayurvedic/Homoeopathic/Unani College:

or

(b) The Intermediate examination in science of an Indian University, Board or other recognized examination body with Physics, Chemistry and Biology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

or

(c) The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology, after passing either the

higher secondary school examination or the pre-university examination of an equivalent examination shall include a practical test in Physics, Chemistry and Biology and also English as a compulsory subject:

or

(d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with Physics, Chemistry and Biology including a practical test in these subjects provided the examination is a "University Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course.

or

(e) B.Sc. examination of an Indian University, provided that he/she has passed the B.Sc. examination with not less than two of the following subjects in Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology) and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects- Physics, Chemistry, Biology and English.

or

(f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University/Board taking Physics, Chemistry and Biology including a practical test in each of these subjects and English.

4.1.2 संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से विज्ञान विषय सहित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

4.1.2 बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को उपर्युक्त अर्हता (i) के अतिरिक्त कक्षा 10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

4.1.2 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन सभी अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी जो अर्हकारी परीक्षा में 2012 में सम्मिलित हो रहे हों। अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा / अंक तालिका काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र अथवा अंक तालिका काउन्सिलिंग के समय न प्रस्तुत करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

4.1.2 एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों में औसत 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है, इसके साथ ही सी.पी.एम.टी. में 50 प्रतिशत अंक भी प्राप्त करने अनिवार्य हैं। विकलांग उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दोनों मानक 50 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत होंगे। (MCI letter no. MCI-34(1) (GEN/2009-Med-2569) Dated 21.04.2009) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी

के विद्यार्थियों के लिए दोनों मानक 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत होंगे।

**५.१.२** बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों हेतु सी.पी.एम.टी.—2012 परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

**५.१.३** अभ्यर्थी कम्प्यूटरीकृत आवेदन—पत्र (Computerized OMR Application Form) में दी गई घोषणा (Declaration) पर विशेष ध्यान दें। वे अभ्यर्थी जिन्होंने सी.पी.एम.टी.—2012 के पूर्ववर्ती वर्षों में

सी.पी.एम.टी. के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था और प्रवेश प्राप्त करने के 90 दिन के अन्दर अपनी सीट नहीं त्यागी थी, सी.पी.एम.टी.—2012 में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं है।

वे अभ्यर्थी जिन्होंने 90 दिन के अन्दर अपनी सीट त्याग दी थी उनके लिए घोषणा पत्र (प्रमाण पत्र—४) अपने पूर्व में किए गये हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है तथा इसे ओ.एम.आर. पत्र (O.M.R. Sheet) के साथ नक्ती न करें तथा उसकी एक प्रति काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

#### 4- **क्रमांक (Reservation)**

**५.२** सी.पी.एम.टी.—2012 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत “वर्टिकल” आरक्षण प्रदान किया जायेगा :

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी      | 21% |
| 2. अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी   | 02% |
| 3. अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी | 27% |

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य विधायी अनुभाग की अधिसूचना सं-

1576/17-वि-1-1(क)11-2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम सं. 1/2002 की “अनुसूची—एक” में इंगित वर्गों से है। पिछड़े वर्ग के वह अभ्यर्थी जो उक्त अधिनियम 1994 की “अनुसूची—दो” अधिसूचना संख्या 22/16/12—का 2/1995 टी.सी. दिनांक 8-12-1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित न हो उनके पुत्र/पुत्री को उक्त आरक्षण अनुमत्य होगा एवं विधायी अनुभाग—1 की अधिसूचना संख्या—1576/सत्रह—वि-1-1(क)—11/2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम संख्या—1 सन् 2002 भी प्रभावी होगा।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस संबंध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्रस्तर—अ में उल्लिखित वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सामान्य सीटों को भरा जायेगा। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत “वर्टिकल” आरक्षण प्रदान किया जायेगा। (शासनादेश सं.—18/26 व. प्र./2010/जी.—112—2010 दिनांक 14.01.2011)

|  |     |
|--|-----|
| (i) अनुसूचित जाति + जनजाति के अभ्यर्थी | 70% |
| (ii) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी      | 15% |

**५.३** सी.पी.एम.टी.—2012 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत “हॉरिजॉटल” (Horizontal) आरक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र/पुत्रियों, नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों तथा बी. ग्रेडिंग सहित ‘सी’ सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडटों को निम्नवत् “हॉरिजॉटल” आरक्षण प्रदान किया जायेगा—

- |   |     |
|---|-----|
| 1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए                              | 02% |
| 2. भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवा निवृत्त / शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए | 02% |
| 3. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए   | 03% |
| 4. महिला अभ्यर्थियों के लिए   | 20% |
| 5. ‘बी’ ग्रेडिंग सहित ‘सी’ सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट                           | 01% |

यह आरक्षण हॉरिजॉटल प्रकृति का होगा और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति—अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जायेगा जिससे वह संबंधित है। उदाहरणार्थ यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है, तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी का है, तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र, पुत्री / विकलांग / महिला अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों की अनारक्षित (ओपेन मेरिट) है तो अनारक्षित (ओपेन मेरिट) में रखा जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों की विकलांगता इस सीमा तक न हो कि चिकित्सा शिक्षा में बाधक हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र/पुत्रियों, विकलांग श्रेणी एवं ‘बी’ ग्रेडिंग सहित “सी” सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैडेटों के जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे, वह इसी उपश्रेणी की आरक्षित सीट के विरुद्ध समायोजित किये जायेंगे।

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा :

**५.४** अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा।

**५.५** प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन—पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी तथा उपश्रेणी जिसके अंतर्गत वह सी.पी.एम.टी.—2012 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी। श्रेणियों का विवरण तथा कोड बिन्दु 11, O.M.R. शीट संबंधी निर्देश बिन्दु 12 के अन्तर्गत पेज 19/20 पर दिये गये हैं। किसी

अस्पष्टता अथवा प्रमाण—पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा उसकी श्रेणी को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

**५½** सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ३ग के प्राविधान लागू होंगे। अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट के आधार पर प्रवेश पायेंगे उन्हें उपर्युक्त आरक्षित सीटों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

**६½** अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को मद संख्या ११ के प्रमाण—पत्र संख्या २ पर शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लाभ के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रमाण—पत्र प्रारूप—२ के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

**७½** विकलांग अभ्यर्थियों को सुरक्षित सीटों पर एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सा परीक्षा मेडिकल विश्वविद्यालय में गठित विशेष मेडिकल बोर्ड से करानी होगी और उक्त बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आरक्षित सीट के समक्ष उसकी अभ्यर्थन के संबंध में दिये गये निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। उक्त विशेष बोर्ड के गठन के संबंध में आवश्यक आदेश महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे। मेडिकल बोर्ड लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात काउन्सिलिंग के पहले दिनांक २७/०६/२०१२ को प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज में बैठेगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा जो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर विकलांग श्रेणी में अर्ह घोषित किये जायेंगे। केवल महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ.प्र. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया निर्धारित प्रारूप के प्रमाण—पत्र—३ पर दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की राय में विकलांगता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसूच नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी सी.पी.एम.टी. के किसी भी पाठ्यक्रम में अर्ह नहीं होंगे। मेडिकल काउन्सिल ॉफ इण्डिया के पत्र सं. एम.सी.आई—३४(१)(GEN/२००९.मेड /२५६९ दिनांक २१.०४.२००९ की व्यवस्था के अनुसार प्रथम काउन्सिलिंग में ५०% से ७०% लोकोमोटरी डिसेबिलिटी के विकलांग अभ्यर्थियों को विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें आवंटित की जायेंगी। द्वितीय काउन्सिलिंग में यदि विकलांग सीटें शेष रहती हैं तो ओपन केटेगरी सीट में शामिल करने से पूर्व इन सीटों को ४०% से ५०% लोकोमोटरी डिसेबिलिटी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जायेगा।)

**८½** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों तथा बी. ग्रेडिंग सहित ‘सी’ सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडेट की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में शासनादेशों के साथ संलग्न प्रारूप पर दिये गये प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे। अनुसूचित जाति तथा जन जाति के जाति प्रमाण—पत्र का निर्धारित

प्रारूप प्रमाण—पत्र—५ है। अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्रवासित होकर आये अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रमाण—पत्र प्रारूप—पत्र—६ पर प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण—पत्र उत्तर प्रदेश में निवास स्थान के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। न्याय एवं कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्शानुसार ‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु केवल यह पर्याप्त होगा कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र/पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र आर्थिक रूप से आश्रित होना आवश्यक नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम की अविवाहित पुत्री हो। आश्रित को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर सेनानी के पुत्र/पुत्री द्वारा अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण—पत्र—७ पर ही प्रस्तुत करना होगा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण—पत्र—८ पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथा ‘बी’ ग्रेडिंग सहित ‘सी’ सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडेट को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप के प्रमाण—पत्र—९ पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**fVi .k& ; fn en I &; k&11 eanh x; h l fp; ka ea of.kr tkfr; ka ds vfrfjDr dk& vkj tkfr Hkh vuq fp; tkfr] vuq fp; tutkfr ,oavU; fi NM& oxz ds vUrkr 'kkl u }jkj ekU; rk i klr gSijUrqbu l fp; ka eaughan'k& h x; h gS rks ml s Hkh vkj {k.k dk yk& vuqU; gkskA**

## 5- i D'sk i = (Admit Card)

(क) प्रवेश पत्र इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in) पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी इंटरनेट से प्रवेश पत्र स्वतः डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा न ही कोई डुप्लिकेट प्रवेश पत्र जारी होगा। यथा संभव प्रयास किया जायेगा कि प्रथम वरीयता नगर में ही उसे केन्द्र आवंटित किया जाय। परन्तु परीक्षक संस्था प्रथम एवं द्वितीय वरीयता नगर के अतिरिक्त किसी भी नगर में केन्द्र आवंटित कर सकती है एवं उसका निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र ज्ञात कर सकता है।

(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे सी.पी.एम.टी.—२०१२ के लिए अर्ह पाया गया हो और जो किसी भी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो, परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अगले वर्षों के सी.पी.एम.टी. के लिए समायोजित किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही सी.पी.एम.टी.—२०१२ में बैठने की अनुमति दी जायेगी। एक बार आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(घ) यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को सी.पी.एम.टी.—२०१२ में बैठने की अनुमति दे दी जाती है जिसे परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो, चाहे उस अभ्यर्थी को प्रवेश—पत्र दे दिया गया हो, और उस प्रवेश—पत्र को सी.पी.एम.टी.—२०१२ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो भी चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.—२०१२ को अधिकार है कि वह परीक्षा में बैठने की इस अनुमति को निरस्त कर सकता है।

No Admit Card will be sent by Post. Admit Card shall be available for download on our website [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in). Intimation of release of admit card shall be given on sms. Give your valid mobile number for receiving important information.

प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in) पर उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना मोबाइल संदेश के माध्यम से दी जायेगी। कृपया अभ्यर्थी महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए अपना वैद्य मोबाइल नम्बर उपलब्ध करायें।

## 6- vuñpr | k/ku (Unfair Means)

सी.पी.एम.टी.-2012 में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर चाहे उनका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर दिया जायेगा।

परीक्षा स्थान पर कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, लागटेबल, लैपटाप पेजर या सेल्यूलर फोन, ब्लूटूथ लेकर जाना या प्रयोग करना या अन्य किसी जुगाड़ का प्रयोग करना अनुचित साधनों (Unfair Means) का प्रयोग करना माना जायेगा।

## 7- p; u , oadkmf! fy& (Selection & Counselling)

### 7-1 efjV | ph&

सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम जूलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तथा बॉटनी के प्रश्नपत्रों में उसके प्राप्तांकों के योग के आधार पर होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग समान होता है, तो पारस्परिक मेरिट प्रथमतः जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में किया जायेगा। जन्तु विज्ञान के अंक भी समान हों तो रसायन शास्त्र, तथा उसके बाद भौतिक शास्त्र में प्राप्त अंकों के क्रम में मेरिट निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती, तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम कुलपति छत्रपति शाहजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष लाटरी (टॉस) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

### 7-2 ijhkkQy@efjV | ph ch ?kks.k.k%

1/2 सी.पी.एम.टी.-2012 के परीक्षाफल / मेरिट सूची / प्राप्तांकों की सूचनायें छत्रपति शाहजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ की वेब साइट [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in) तथा [www.updgme.in](http://www.updgme.in) में प्रकाशित होंगी। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि होती है तो आवश्यक संशोधन भी विश्वविद्यालय एवं महानिदेशालय की वेबसाइट में प्रकाशित कराया जायेगा (इसके अलावा अगर कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप अनाधिकृत रूप से प्रकाशित करता है एवं उसमें गलतियां रह जाती हैं और इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता है तो इसके लिए चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.-2012 उत्तर प्रदेश शासन अथवा चेयरमैन काउंसिलिंग

बोर्ड किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे व उसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

[1/2 परीक्षाफल / मेरिट सूची हमारी वेबसाइट [www.csmmu.in](http://www.csmmu.in) पर उपलब्ध करायी जायेगी। डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। वेबसाइट पर Solution Key भी उपलब्ध करायी जायेगी।

1/2 LO!Vu h 1/4 p;h{k. k/2 dk i koekku %अभ्यर्थी प्राप्त अंकों का आंकलन स्वयं O.M.R. answer sheet की कार्बन प्रतिलिपि के उत्तरों को Solution Key से मिलाकर कर सकता है। परन्तु यदि उसे प्रतीत होता है कि कोई त्रुटि हो गयी है तो वह चेयरमैन सी.पी.एम.टी.-2012 को रु. 300/- प्रति प्रश्न पत्र का बैंक ड्रापट जो लखनऊ में देय हो भेजकर परीक्षाफल घोषित होने के 07 दिन के अन्दर सादे कागज पर आवेदन के साथ स्कूटिनी करा सकता है।

### 7-3 dkmf! fy& | cekh | pu%

1/2 प्रथम चक्र की काउंसिलिंग 25 जुलाई 2012 के पूर्व होगी। मान्यता प्राप्त कॉलेजों के एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों हेतु काउंसिलिंग की जायेगी तथा काउंसिलिंग संबंधी तिथियां समय तथा स्थान व अन्य विवरण परीक्षाफल के साथ यथासंभव प्रकाशित किया जायेगा। काउंसिलिंग का कार्य महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा तथा सम्बन्धित सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ.प्र. द्वारा प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों तथा वेब साइट ([www.updgme.in](http://www.updgme.in)) में प्रकाशित की जायेगी। 1/2 द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग 25 से 28 अगस्त 2012 के मध्य

आयोजित की जायेगी जिसका विस्तृत विवरण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा समाचार पत्रों एवं वेब साइट में प्रकाशित कराया जायेगा। अभ्यर्थियों को इस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रथम चक्र से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी भी पुनरावंटन हेतु भाग ले सकेंगे। द्वितीय चक्र में प्राविजनल आवंटन के पश्चात रिक्त उप श्रेणी की सीटों को अन्तिम आवंटन करने से पूर्व उनकी मूल श्रेणी में समायोजित कर आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों का आवंटन अन्तिम करने से पूर्व अनुसूचित जाति की सीटों में सम्मिलित कर अन्तिम आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि अन्तिम आवंटन से पूर्व यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अर्ह अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के पश्चात भी इन श्रेणियों की सीटें रिक्त रह गयी हैं, तो उन्हें भी समान्य सीटों में जोड़कर आवंटित कर दिया जायेगा।

**१५½ काउंसिलिंग वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के चार काउंसिलिंग केन्द्रों पर की जायेगी। काउंसिलिंग संबंधी विवरण एवं प्रक्रिया वेबसाइट, [www.updgme.in](http://www.updgme.in) पर काउंसिलिंग से पूर्व समावेशित कर दिये जायेंगे।**

#### **7-4 dkm% fy%&**

**१६½ मेरिट सूची में आये अभ्यर्थियों को स्वयं सी.पी.एम.टी.-2012 के प्रवेश-पत्र तथा निम्नवत् प्रलेखों, मूल एवं एक-एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित काउंसिलिंग हेतु नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा।**

1. मद संख्या 3 में वर्णित अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र तथा/अथवा अंकतालिका (इंटरमीडिएट/इंटरमीडिएट एवं बी.एस.-सी.)।
2. आवेदित-पत्र के साथ दिये फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों उसी से बना हुआ 2 फोटोग्राफ।
3. श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों) मूल रूप में (Original)।
4. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र।
5. यदि बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हों तो दसवीं कक्षा के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र।
6. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का मूल उपयुक्त प्रमाण-पत्र।

**१७½ काउंसिलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को आने जाने, अपने रहने, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।**

**१८½ पाठ्यक्रमों की सूची मद संख्या 1 (क) में दी गयी है। कॉलेजों की सूची मद संख्या 8 में दी गई है जिसमें काउंसिलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है।**

**१९½ अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके स्टेट रैंक (Combined**

General Rank) के अनुसार बुलाया जायेगा और पाठ्यक्रमों/कॉलेजों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता क्रम एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा। आरक्षित श्रेणियों की काउंसिलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपने स्टेट रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे तथा उन्हें सामान्य सीट अथवा आरक्षित सीट में से उपलब्ध विकल्प चुनना होगा। हॉरिझॉन्टल श्रेणी (FF-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, ES-भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपांग/सेवा निवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री, PH- विकलांग, (WC) –महिला, NC एन.सी.सी. प्रमाण पत्र धारक), के अभ्यर्थियों को भी स्टेट रैंक के अनुसार ही काउंसिलिंग में भाग लेना होगा। अलग से उपश्रेणियों की काउंसिलिंग नहीं होगी। जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे केवल उन्हें ही उपश्रेणियों में समायोजन के लिये अर्ह माना जायेगा।

**२०½ अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय 300/- रुपये काउंसिलिंग शुल्क उत्तर प्रदेश में एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में नकद धनराशि के रूप में "महानिदेशक चिकित्सा एवं प्रशिक्षण" के खाता सं. 053010100400732 में जमा करना होगा। बैंक द्वारा उन्हें दो प्रतियों में रसीद उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी की प्रति होगी तथा दूसरी प्रति महानिदेशक (डी.जी.एम.ई. कॉपी) होगी, जिसे काउंसिलिंग केन्द्र पर जमा कर अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे।**

**२१½ काउंसिलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों को धरोहर धनराशि रु.5,000/- उ.प्र. में एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में नकद धनराशि के रूप में जो "महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण" के खाता सं. 053010100400732 में जमा करना होगा। बैंक द्वारा उन्हें दो प्रतियों में रसीद उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी की प्रति होगी तथा दूसरी प्रति महानिदेशक (डी.जी.एम.ई. कॉपी) होगी, जिसे काउंसिलिंग केन्द्र पर जमा कर अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। यह धरोहर धनराशि रु.5,000/- अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्त प्रवेश का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित काउंसिलिंग केन्द्र से दिनांक 01.10.2012 से 31.12.2012 तक वापस ली जा सकेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से भी प्रसारित होंगे।**

**२२½ यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसिलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसिलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन परन्तु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।**

**२३½ यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो उसे उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि रु. 5,000/- वापस नहीं की जायेगी।**

**8- dkyystkadh | ph@ikB; Øe ,oa | hV | ;k  
(List of Colleges, Courses and Available Seats)**

**1/1/ , e-ch-ch-, I - i kB; Øe**

1. छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ
2. जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर
3. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा
4. एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद
5. एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ
6. एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झाँसी
7. बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर
8. उ.प्र. ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफ़ई, इटावा
9. महामाया राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर\*\*  
(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)

; kx % , yki SFkd

\*\* भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमत्य होगा।

**i kB; Øe@dkyyst okj | hVka dh dy | ;k**

|            |
|------------|
| 210        |
| 159        |
| 124        |
| 82         |
| 82         |
| 82         |
| 82         |
| 40         |
| 85         |
| 85         |
| <b>949</b> |

**2/1/ ch-Mh-, I - i kB; Øe**

1. छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ (दंत विज्ञान संकाय)  
; kx % ch-Mh-, I -

51

**51**

**3/1/ ch-, p-, e-, I - i kB; Øe**

1. नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लखनऊ
2. लालबहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद
3. कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कानपुर
4. डॉ. बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फैजाबाद
5. श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़
6. गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर
7. केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुरादाबाद

; kx % ch-, p-, e-, I -

50

50

50

30

30

50

40

**300**

**4/1/ ch-, -, e-, I - i kB; Øe\***

1. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, लखनऊ
2. ललितहरि आयुर्वेदिक कॉलेज, पीलीभीत
3. आयुर्वेदिक कॉलेज, अतर्रा (बांदा)
4. बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, झांसी
5. शाहू रामनारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कॉलेज, बरेली
6. स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, रामपुर, मुजफ्फरनगर
7. लालबहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज, हंडिया, इलाहाबाद
8. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, वाराणसी

; kx % ch-, -, e-, I -

50

50

40

40

40

30

30

40

**320**

**5/1/ ch-, w, e-, I - i kB; Øe**

- यूनानी मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद
- तकमिल-उत्तिब कॉलेज, लखनऊ

; kx % ch-, w, e-, I -

40

40

80

**fut h {k= ds esMdy ,oa Mw y dkystkadh v | ru fLFkr**

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों पर राज्य सरकार के अधिनियम उ.प्र. निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.01.2007 लागू है। यह आदेश याचिका संख्या 34(एम. / बी.)2007 एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एण्ड डेंटल कालेजेज ऑफ उ.प्र. राज्य व अन्य राज्य में पारित है। अतः जो भारत सरकार से अनुमति प्राप्त/मान्यता प्राप्त कालेज स्वेच्छा से सी.पी.एम.टी. परीक्षा से छात्र/छात्रा लेना चाहेंगे उन्हें ही छात्र-छात्रा आवंटित किये जायेंगे। इस संबंध में शासन/मा. न्यायालय के जो भी आदेश काउंसिलिंग के समय लागू होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**9- i dsk i jh{kk i kB; Øe & 2012  
(Syllabus for Entrance Examination - 2012)**

सी.पी.एम.टी.-2012 में वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों अर्थात् जन्म विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तथा वनस्पति विज्ञान में परीक्षा ली जायेगी। सी.पी.एम.टी.-2012 की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 नम्बर का होगा। प्रश्नपत्र के लिए 3 घण्टे की समयावधि निर्धारित है। **I Hh fo"k; k dñ it u&i= ;ñi h0 ckMZ dsb. VjehfM, V i kB; Øe 12012½ ij vklkfjr gksx** परीक्षा एक दिन में तथा एक ही पाली में आयोजित की जायेगी।

**10- vkj{.k Jf.k; k dk dñM  
(Code for Various Reserve Categories)**

| Jf.k  | dñM |
|---|-----|
| • सामान्य   | 10  |
| • सामान्य—स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित                        | 15  |
| • सामान्य भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग का पुत्र/पुत्री          | 16  |
| • सामान्य विकलांग   | 17  |
| • सामान्य—एन.सी.सी.—सी सर्टिफिकेटधारी                                 | 18  |
| • अन्य पिछड़ा वर्ग  | 20  |
| • अन्य पिछड़ा वर्ग—स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित               | 25  |
| • अन्य पिछड़ा वर्ग—भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री | 26  |
| • अन्य पिछड़ा वर्ग—विकलांग  | 27  |
| • अन्य पिछड़ा वर्ग—एन.सी.सी.—सर्टिफिकेटधारी                           | 28  |
| • अनुसूचित जाति   | 30  |
| • अनुसूचित जाति—स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित                  | 35  |
| • अनुसूचित जाति—भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री    | 36  |
| • अनुसूचित जाति—विकलांग   | 37  |
| • अनुसूचित जाति—एन.सी.सी.—सी. सर्टिफिकेटधारी                          | 38  |
| • अनुसूचित जनजाति   | 40  |
| • अनुसूचित जनजाति—स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित                | 45  |
| • अनुसूचित जनजाति—भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री  | 46  |
| • अनुसूचित जनजाति—विकलांग   | 47  |
| • अनुसूचित जनजाति—एन.सी.सी.—सी सर्टिफिकेटधारी                         | 48  |

## 11- i<sub>ek</sub>.k&i = k<sub>ad</sub>k i<sub>tk</sub>: i (Format of Certificates)

(नीचे दिये गये प्रारूपों में ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

### i<sub>ek</sub>.k&i = ua 1 (UPPR)

½m-i z e½fuokl dk i<sub>ek</sub>.k i=½

**½døy mlgha vH; ffk<sub>z</sub> k<sub>ad</sub>s fy, ftulgus gkbLdwy rFkk vg<sub>z</sub>k ij<sub>z</sub>kk mÙkj i ns<sub>z</sub>k I s mÙkh.k<sub>z</sub> u dh gk<sub>z</sub>**

मैंने आवश्यक लिखित साक्ष्य की जांच कर ली है और/अथवा मुझे इस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान है कि अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
..... पुत्र/पुत्री श्री ..... उत्तर प्रदेश में मूल निवासी की  
परिभाषा जो नीचे निर्धारित टिप्पणी में दी गयी है परिभाषा सं.....को पूर्ण करता है अथवा वह उक्त टिप्पणी में दिये गये  
अपवाद संख्या..... के अन्तर्गत आता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर.....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर.....  
पूरा नाम .....

पदनाम तथा सील.....  
(उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

### fVII . kh %

#### 1- mÙkj i ns<sub>z</sub>k ds<sub>z</sub>ey fuokl h dh i fjk<sub>z</sub>kk

**½døy** भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

**½doy** भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार के अधिग्रहण के पश्चात् इस आवेदन—पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं है।

#### vFkok

**½doy** उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ—पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है।

#### vFkok

**½doy** विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

- 2- vi okn %** अपेक्षित प्रमाण—पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमत्य होगा
- (i) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
  - (ii) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
  - (iii) देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
  - (iv) अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण—पत्र देना अनिवार्य है)।

#### i<sub>ek</sub>.k&i =

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
श्री..... के पुत्र/पुत्री हैं, जो..... (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .....  
दिनांक .....

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर  
जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)  
सील

**i ek.k&i = ua 2**  
**mÙkj i ns'k ds vU; fi NM's oxl ds fy, tkfr i ek.k&i = dk ik: i (UPOBC)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/श्री.....  
निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला.....  
उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।  
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-दो (अधिसूचना संख्या— 22/16/12 का—02/1995 टी.सी. दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....  
नगर ..... जिला..... में सामान्यतः रहता है।  
अध्यर्थी के हस्ताक्षर .....  
दिनांक .....  
स्थान.....  
हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पद नाम तथा सील .....  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

**NOTE: This certificate will be acceptable only if it is issued after March 31st, 2012. Profoma of certificate shall change according to latest Govt. order.**

**ukV %ekp[31] 2012 dsckn tkjh i ek.k&i = gh ekU; gkskA i ek.k&i = dk ik: i] 'kkI u dsV/; kfok vkn'k dsVuq kj gkuk pkfg, A**

**mÙkj i ns'k ds vU; fi NM's oxl dh tkfr; kadh l ph**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय         | 28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)                 | 54. हज्जाम, नाई, सलवानी, सबिता, श्रीवास                                    |
| 2. टरख, अकर्वशीय                        | 29. नायक   | 55. रायसिख   |
| 3. काढी, काढी कुशवाहा, शाक्य            | 30. फकीर   | 56. सक्का भिस्ती, भिस्ती अब्बासी   |
| 4. कहार, कश्यप                          | 31. बंजारा, रन्धी, मुकरी, मुकोरानी                                       | 57. धोबी (जो अनुसूचित जन-जातियां गंधी, अर्रक की श्रेणी में सम्मिलित न हों) |
| 5. केवट या मल्लाह, निषाद                | 32. बढ़ई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल,                                      | 58. कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार   |
| 6. थकसान                                | रमगढ़िया, जांगिड, धीमान  | 59. नानबाई   |
| 7. कोइरी                                | 33. बरी  | 60. मैर शिकार  |
| 8. कुम्हार, प्रजापति                    | 34. बैरानी   | 61. शेख, सरबरी (पिराई) पीराही  |
| 9. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार,           | 35. बिन्द  | 62. मेद, मेवाती  |
| कुर्मी—मल्ल, कुर्मी सैथवार              | 36. बियार  | 63. कोष्टा/कष्टी   |
| 10. कम्बोज                              | 37. भर, राजभर  | 64. रोड  |
| 11. कसंगर                               | 38. भुर्जी, भड़भेजा, भूज, कशोधन  | 65. खुमरा, संगत राम, हसीरी   |
| 12. कुजाड़ा या राईन                     | 39. भटियारा  | 66. मोर्चा   |
| 13. गोसाई                               | 40. माली, सैनी   | 67. खागी   |
| 14. गूजर                                | 41. मनिहार, कचेर, लसैरा  | 68. तंवर सिंघाडिया   |
| 15. गडेरिया, पाल, और बघेल               | 42. मुराव या मुराई, मौर्य  | 69. कतुआ   |
| 16. गदवी, घोशी                          | 43. मोमिन अंसार  | 70. महीगीर   |
| 17. थगरि                                | 44. भिरासी   | 71. छागी   |
| 18. चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक           | 45. मुस्लिम कायस्थ   | 72. धाकड़  |
| 19. छीपी, छीपा                          | 46. मारछा  | 73. गाड़ा  |
| 20. जेगी                                | 47. रंगरेज, रंगवा  | 74. तंतवा  |
| 21. झोजा                                | 48. लोधी, लोधा, लोधी, लोटा, लोधी—राजपूत                                  | 75. जेरिया   |
| 22. डफाली                               | 49. लोहार, शैफी  | 76. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी  |
| 23. तमोली, बरई, चौरसिया                 | 50. लोनिया, नोनिया, गोले—ठाकुर, लोनिया—चौहान                             | 77. जाट  |
| 24. तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार | 51. सोनार, सुनार, स्वर्णकार  | 78. कलाल, कलवार, कलार  |
| 25. दर्जी, इदरीसी, काकतरथा              | 52. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हो), हलालखोर | 79. नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे, कडेरेकिरण (कर्ण)                      |
| 26. धीवर                                | 53. हलवाई मोदनवाल  |  |
| 27. नक्काल                              |  |  |

**ukV %mijkDr dk l R; ki u 'kkI u dsfunV l sdj fy; k tk; A**

**i ek.k&i = ua 3**  
**fodylkak vH; FkH ds fy, fodylkark i ek.k&i = dk ik: i (UPPH)**

संख्या ..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... सी.पी.एम.टी.-2012 ..... अनुक्रमांक\*  
पुत्र / पुत्री श्री ..... सी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकलांग श्रेणी में आते /आती हैं, कि एम.सी.आई. के पत्र सं.-एम.सी. आई.-34(1) / 2009-मेड / 02569, दिनांक 21.04.2009 के अनुसार श्री / श्रीमती / कुमारी ..... की सिर्फ लोवर लिम्ब की विकलांगता 50% से 70%\*\* अथवा 40% से 50%\*\* के मध्य है तथा अन्य किसी भी अंग में अपंगता नहीं है तथा वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर.....  
एवं फोटोग्राफ

अध्यक्ष विशेष बोर्ड के हस्ताक्षर एवं सील

प्रति हस्ताक्षरित  
मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

\* कृपया प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक व फोटो का मिलान करके ही प्रमाण—पत्र जारी करें।

\*\* नोटः— जो लागू न हो उसे काट दिया जाय। यदि बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक हो कि अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तब ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण—जारी न किया जाये।

**i ek.k&i = ua 4**  
**i wle CPMT ds ek;/ e I sv/; ; ujr Nk=k }kj k I hV R; kxus dk i ek.k i =**

मैं ..... पुत्र / पुत्री .....  
घोषणा करता / करती हूं कि मेरा चयन सी.पी.एम.टी (वर्ष) ..... के माध्यम से (पाठ्यक्रम) ..... के लिए (कॉलेज) ..... में हुआ था परंतु सी.पी.एम.टी.-2012 में सम्मिलित होने के लिए मैंने (दिनांक) ..... (90 दिन के अन्दर) त्याग—पत्र अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को दे दिया था तथा इसकी सूचना (दिनांक) ..... को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश को दे दी थी तथा तब से मैं अध्ययनरत नहीं हूं। इसके समर्थन में संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर नाम काटने का प्रमाणपत्र मैं काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करूंगा / करूंगी।

स्थान.....

दिनांक .....

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर

**i ek.k&i = ua 5**  
**YmÙkj i ns'k dh vuq fpr tkfr rFkk tutkfr dsfy, tkfr i ek.k&i = dk ik: i½**  
**(UPSC/UPST)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ग्राम.....  
 तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की.....  
 जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।  
 श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ..... ग्राम.....  
 तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
 स्थान .....  
 दिनांक .....

हस्ताक्षर .....  
 पूरा नाम .....  
 पदनाम तथा सील .....  
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

**mÙkj i ns'k ds vuq fpr tkfr; k@tu tkfr; kdh I ph**

|                           |                   |   |  |
|---------------------------|-------------------|---|--|
| 1. अगरीया                 | 25. नेरो          | 49. कोल   | शासनादेश संख्या—111 भा.स./26.03.2003(7)/2003 दिनांक 3.07.2003 के द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया हैः— |
| 2. बधिक                   | 26. छबगर          | 50. कोरी  | 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)   |
| 3. वटी                    | 27. धागंर         | 51. कोरवा   | 7. खरवार, खेरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)   |
| 4. बहेलिया                | 28. धानुक         | 52. ललबेगी  | 8. सहरिया (ललितपुर जिले में)   |
| 5. बैगा                   | 29. धरकार         | 53. मझवार   | 9. परहिया (सोनभद्र जिले में)   |
| 6. बैसवार                 | 30. धोबी          | 54. मजहबी   | 10. बैगा (सोनभद्र जिले में)  |
| 7. बजनिया                 | 31. डोम           | 55. मुसहर   | 11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)  |
| 8. बजरी                   | 32. डोमर          | 56. नट  | 12. अगरिया (सोनभद्र जनपद में)  |
| 9. ब्लहर                  | 33. दुसाध         | 57. पंखा  | 13. पटारी (सोनभद्र जनपद में)   |
| 10. बलई                   | 34. धरमी          | 58. पहरिया  | 14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)  |
| 11. बाल्मीकि              | 35. धसिया         | 59. पसी, तरमाली   | 15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)   |
| 12. बंगाली                | 36. गोंड          | 60. पतरी  |  |
| 13. बनमानुश               | 37. ग्वाल         | 61. श्रावत  |  |
| 14. बांसफोर               | 38. हबुडा         | 62. सहरिया  |  |
| 15. बरवार                 | 39. केली          | 63. सनोरिया   |  |
| 16. बसोड                  | 40. केला          | 64. सांसिया   |  |
| 17. बयरिया                | 41. क्लाबाज       | 65. शिल्पकार  |  |
| 18. बेलदार                | 42. कंजड़         | 66. तुरैहा  |  |
| 19. बेडिया                | 43. कबडिया        | <b>mÙkj i ns'k ds vuq fpr tkfr; k@tu tkfr; kdh I ph</b> |  |
| 20. भ्रांतु               | 44. करबल          | 1. थारु   |  |
| 21. भुइया                 | 45. खरैता         | 2. बेनस   |  |
| 22. बोरिया                | 46. खरबार (बनवासी | 3. भोटिया   |  |
| 23. भदयार                 | को छोड़कर         | 4. श्राजी   |  |
| 24. चमार, झूसिया, धुसिया, | 47. खटिक          | 5. जौनसारी  |  |
| जाटव                      | 48. खरोट          |   |  |

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग—1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रव्याप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश—2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रव्याप्ति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश—2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

## i ek.k&i = ua 6

**½U; jkT; @I ʃk'kkfI r {ks= I sm-i z eš i dkfI r gkdj vk; svud fpr tkfr vFkok vuq fpr tutkfr  
ds mEhnokj }kj k vi us nkos ds I eFklu eš i sk fd; s tkus okys i ek.k&i = dk Qke½  
tkfr ds i ek.k&i = dk Qke½**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री.....  
निवासी ..... गांव/शहर..... जिला/मंडल..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र  
का अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

1. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
3. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1950
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियाँ सूची (संशोधन आदेश, 1956 बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम—1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम—1971 तथा अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम—1976 (द्वारा यथा संशोधन)।
5. संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ, आदेश, 1956
6. संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियाँ, आदेश, 1959
7. संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियाँ, आदेश, 1962
8. संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जातियाँ, आदेश, 1962
9. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियाँ, आदेश, 1964
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
11. संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1968
12. संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1960
13. संविधान (नागा) अनुसूचित जाति आदेश, 1970

यह प्रमाण—पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उसके पिता/माताश्री/श्रीमती.....  
निवासी ग्राम/शहर..... जिला/मंडल..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र..... को दिये  
गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण—पत्र के आधार पर जारी किया है जो..... जाति/जनजाति के हैं  
..... जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा अपने पत्र संख्या..... दिनांक..... के अंतर्गत जारी किया गया।  
(निर्धारित प्राधिकारी का नाम)

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| स्थान .....                  | जिलाधिकारी के हस्ताक्षर..... |
| राज्य/संघ शासित क्षेत्र..... | पद .....                     |
| दिनांक .....                 | मोहर .....                   |
| अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....   |                              |

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

नोटः— यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र भारत सरकार, गृह मन्त्रालय के पत्र संख्या—वी.सी.16014 / 1—82 एस.सी. एण्ड वी.सी.डी.—1 नई दिल्ली दिनांक 18—25 नवम्बर 1982 के निवेशानुसार जारी किया जाये।

## i ek.k&i = ua 7 (UPFF)

**½orU=rk I ake I ukfu; k ds vkfJrk ds i ek.k&i = dk i i =½**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... निवासी..... ग्राम ..... तहसील.  
..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों  
के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी आश्रित。  
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र अविवाहित पौत्री उपराकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती  
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित हैं।

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| स्थान .....                      | हस्ताक्षर.....  |
| दिनांक.....                      | पूरा नाम.....   |
| अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर..... | पद नाम.....     |
|                                  | मोहर .....      |
|                                  | जिलाधिकारी..... |

**i ek.k&i = ua 8**  
**mÙkj i ns'k Hkri wZ I Sud (UPES)**  
**½fUr e ; fuV ds vlfQI j dekfUMax }jk i ekf.kr%**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ..... सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक ..... को सेवा निवृत्त हुए हैं या थे / भारतीय सेना की सक्रिय सेवा काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत / युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति / अक्षमता प्राप्त की थी। वीरगति / अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री ..... भारतीय ..... सेना की यूनिट ..... में नियुक्त थे।

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| दिनांक                      | सेना की संबंधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील |
| अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर | दिनांक  |
| दिनांक                      | .....   |

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी ..... निवासी ..... उपरोक्त श्री ..... के पुत्र / पुत्री हैं।

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर                         | जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील |
| दिनांक  | .....                                |
| युद्ध में शहीद / युद्ध में अपंग सैनिक का नाम        | .....                                |
| युद्ध में शहीद / युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता | .....                                |
| थल / नभ / जल जो उपयुक्त हो, अभ्यर्थी का नाम         | .....                                |
| यूनिट की संख्या व पता                               | .....                                |

**i ek.k&i = ua 9 (UPNC)**  
**j k"Vh; dMw dkj**  
**NATIONAL CADET CORPS**  
**i ek.k i = PI hB**  
**CERTIFICATE "C"**

|   |                      |
|---|----------------------|
| सं.   | रैंक                 |
| No. ....  | Rank .....           |
| नाम   | सुपुत्र / सुपुत्री   |
| Name .....  | Son/Daughter of..... |
| यूनिट   | .....                |
| Unit .....  | .....                |
| NCC Directorate (राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय)..... |                      |

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन ..... में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा 'बी' श्रेणी में पास कर ली है।

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in 'B' Grade held in year ..... under the authority of Ministry of Defence, Government of India.

क्र. सं.  
Sr. No. ....  
स्थान  
Place.....  
दिनांक  
Date.....

Brigadier  
By DG NCC DTE (UP&UA) Lucknow  
उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर  
Dy. Director General, National Cadet Corps

## 12. OMR 'का का फॉर्म (Instructions for filling the OMR Sheet)

### 12. INSTRUCTIONS FOR FILLING THE OMR APPLICATION

NOTE : FILL THE FORM WITH GREAT CARE. REQUESTS FOR CORRECTIONS WILL NOT BE ENTERTAINED LATER. INCOMPLETELY FILLED APPLICATIONS WILL BE REJECTED WITHOUT ANY NOTICE. READ ALL THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND WRITE WITH BLUE OR BLACK BALL POINT PEN IN BOXES PROVIDED, AND DARKEN THE CORRESPONDING CIRCLES IN FULL. IT IS SUGGESTED THAT YOU MAKE A PHOTO-COPY OF THE FORM AND USE THAT FIRST FOR PRACTICE, BEFORE FILLING UP ACTUAL OMR SHEET. WRITE IN CAPITAL LETTERS.

- Name of the Candidate :** Write first name, then middle name (abbreviate if necessary), then surname in the rectangular boxes provided on top of the circles, leave a box blank between first, middle and surname. Darken the corresponding circles O with pen (see the sample application form).
- Category:** Fill the category code to which you belong: All women candidates will be considered for women category seat first and then in their vertical category.

| JS क्र   | क्रम | JS क्र  | क्रम |
|--|------|---|------|
| सामान्य  | 10   | अनुसूचित जाति   | 30   |
| सामान्य—स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित                         | 15   | अनुसूचित जाति— स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित                 | 35   |
| सामान्य—भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग का पुत्र/पुत्री           | 16   | अनुसूचित जाति— भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग                   |      |
| सामान्य विकलांग  | 17   | का पुत्र/पुत्री   | 36   |
| सामान्य—एन.सी.सी.—सी सर्टिफिकेटधारी                                  | 18   | अनुसूचित जाति— विकलांग  | 37   |
| अन्य पिछड़ा वर्ग   | 20   | अनुसूचित जाति—एन.सी.सी.—सी सर्टिफिकेटधारी                           | 38   |
| अन्य पिछड़ा वर्ग— स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित               | 25   | अनुसूचित जनजाति   | 40   |
| अन्य पिछड़ा वर्ग— भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग का पुत्र/पुत्री | 26   | अनुसूचित जनजाति—स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित                | 45   |
| अन्य पिछड़ा वर्ग— विकलांग  | 27   | अनुसूचित जनजाति— भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग का पुत्र/पुत्री | 46   |
| अन्य पिछड़ा वर्ग—एन.सी.सी.—सी सर्टिफिकेटधारी                         | 28   | अनुसूचित जनजाति— विकलांग  | 47   |
|  |      | अनुसूचित जनजाति—एन.सी.सी.—सी सर्टिफिकेटधारी                         | 48   |

Example (Please See sample OMR)

- A woman candidate of general category will fill the category code 10. However, if she also belongs to physically handicapped category then she shall fill code 17 instead of 10.
- A male candidate of general category shall fill category code 10. However, if he is also a candidate of ex-army category then he shall fill category code 16 instead of 10.
- Residential Status:** Darken the appropriate circle for resident status.
  - Those who have passed High School and Intermediate or equivalent exam from UP shall darken circle no. 1 and those who have passed High School and Intermediate or eligibility qualification from other state and hold Resident certificate number (UPPR) shall darken circle no. 2
  - Please note that domicile of other states are not eligible in this examination.
- High School passed from:** Darken the circle from where you have passed High School examination.
- Intermediate passed from:** Darken the circle from where you have passed Intermediate examination.
- Choice of C.P.M.T. Cities:** Pick up the CODES of two cities in order of preference from the list given below and mention in the boxes provided in I & II columns and darken the corresponding circles.

| CITY      | CODE | CITY      | CODE | CITY      | CODE | CITY      | CODE | CITY       | CODE |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|
| Agra      | 11   | Bareilly  | 14   | Gorakhpur | 17   | Lucknow   | 20   | Noida      | 23   |
| Aligarh   | 12   | Faizabad  | 15   | Jhansi    | 18   | Meerut    | 21   | Saharanpur | 24   |
| Allahabad | 13   | Ghaziabad | 16   | Kanpur    | 19   | Moradabad | 22   | Varanasi   | 25   |

- Sex:** Write MALE or FEMALE in the box provided and darken the appropriate circle.
- Qualifying Exam:** Darken the circle corresponding to qualifying examination.
- Date of Birth:** In the first column two boxes are provided; write the date in the boxes (eg. 6 should be written as 06). In the second column two box are provided. Write the month in the boxes (i.e. First month January should be

written as 01). In the third column two boxes are given. Write the year (if in year 1986 write 8 and 6) in the boxes. Darken the corresponding circles.

10. (a) If you wish to be considered for the BUMS course, darken the circle for YES otherwise, darken the circle NO.  
 (b) If you have passed Urdu paper at class X level, darken the circle for YES otherwise, darken the circle NO.
11. **Give fingerprint impression of your right index finger in the given boxes without re-inking your finger.** Ink your finger on the stamp pad once then apply it on the first box without smudging the impression, then apply the same finger on the second box without taking the ink again, repeat the same on the third box without re-inking your finger, as given in the example below.

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| <p>सभी अभ्यर्थी को अपने दाँये हाथ की तर्जनी (Index Finger) का निशान O.M.R. आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर Sample में दर्शाये गये तरीके से अनिवार्य रूप से लगाना होगा।</p> <p>केवल एक बार स्टैम्प इंक उंगली पर लगायें और पहले खाने पर निशान लगायें, दुबारा स्टैम्प स्याही उंगली पर लगाये बिना उसी तरह दूसरे एवं तीसरे खाने में भी निशान दें।</p> | (1) |  | First Impression   |
|   | (2) |  | Second Impression<br>(दुबारा स्टैम्प स्याही उंगली पर लगाये बिना) |
|   | (3) |  | Third Impression<br>(दुबारा स्टैम्प स्याही उंगली पर लगाये बिना)  |

12. **Mailing address** should be written entirely inside the box. Address will be used for all correspondence.
13. **Sample of Handwriting:** Give a sample of your usual handwriting by copying the sentence- "The quick brown fox jumped high over the lazy dog" -in the given box.
14. **Photograph** must be coloured bearing your name and date on the chest and recent taken after 01.02.2012, front face, without any hat or cap or dark glasses, as per specifications on page no.3. Please be warned that if the identity of the candidate is not clear from the photograph, the form will be rejected. Photo should be PASTED in such a manner that it lies entirely inside the box. The photograph should not be attested.
15. **Signature** in English should be entirely inside the box provided.
16. **Name of Parent/Guardian:** Write first name, then middle name (abbreviate if necessary), then surname in the boxes provided, leave a box blank between names. Darken the corresponding circles with the pen.
17. **Relationship:** Darken the circles to indicate the guardian's relationship with you.
18. **Board of qualifying exam:** Darken the circles to indicate the board/university of your qualifying examination (intermediate or equivalent).
19. **Intermediate or equivalent:** Darken the circles corresponding to the percentage of marks obtained in the subjects indicated and also the total percentage of marks in the Intermediate or equivalent examination. If the results of the qualifying examination have not been declared, darken the circles marked "Result awaited."
20. **B.Sc. examination:** Give details of % of marks in B.Sc. If general category candidate has less than 50% aggregate marks in Physics, Chemistry and Biology taken together or reserve category candidate having less than 40% aggregate marks in Physics, Chemistry and Biology taken together, in intermediate or equivalent examination and wish to be considered on the basis of marks obtained in B.Sc. examination then mention the percentage of marks obtained in B.Sc. examination subjects i.e. Physics/ Chemistry /Botany/Zoology as the case may be.
21. **Counselling Center:** Darken the circle of city in which you want your center of counselling in order of your preference. You must note the counselling centre or keep copy of OMR Application Form.
22. **Mobile No.:** Give a valid Mobile Number on which you would like to receive information regarding examination/ admit card.
23. Read the Declaration carefully. Make sure that the name and signature of yourself and your guardian are properly filled.

**Note -**

**DO NOT MARK OR SCRATCH OR WRITE ANYTHING IN THE SPACE PROVIDED FOR THE BARCODE. BY DOING THIS THE COMPUTER WILL REJECT YOUR IDENTITY.**

**LIST OF BRANCHES OF ALLAHABAD BANK FROM WHERE CPMT-2012 FORMS WILL BE AVAILABLE**

| <b>S No.</b> | <b>District</b> | <b>BRANCH NAME</b>               | <b>ADDRESS</b>  | <b>Phone</b>                 |
|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1.           | Agra            | AGRA                             | CHILI-INT ROAD AGRA - 282 003, UTTAR PRADESH  | 0562-2263446                 |
| 2.           | Agra            | DELHI GATE (SANJAY PLACE), AGRA  | NEAR RAVI HOSPITAL, DELHI GATE, AGRA-280002 UTTAR PRADESH   | 0562-2520345                 |
| 3.           | Agra            | NEW AGRA                         | C-2/48, GRIVS COMPLEX, KAMLA NAGAR, AGRA,,DISTT.- AGRA,U.P. UTTAR PRADESH   | 0562-2881551                 |
| 4.           | Aligarh         | ALIGARH                          | UMRAO BHAWAN RAILWAY ROAD, P.O. BOX 32, ALIGARH 202 001, UTTAR PRADESH  | 0571-2420720                 |
| 5.           | Aligarh         | ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY        | UNIVERSITY CAMPUS ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH - 202 001, UTTAR PRADESH                                       | 0571-2705065                 |
| 6.           | Allahabad       | CIVIL LINES                      | 22, PURSHOTTIM DAS TANDON MARG CIVIL LINES,, ALLAHABAD - 211 001, UTTAR PRADESH                                     | 0532-2624513, 6451043, 24224 |
| 7.           | Allahabad       | ALLAHABAD KATRA                  | 64 MASTER ZAHURU HASAN ROAD, KATRA, ALLAHABAD - 211 002, UTTAR PRADESH  | 0532-2642842, 2642031, 26404 |
| 8.           | Allahabad       | ALLAHABAD ALOPIBAGH              | 320 B ALOPIBAGH ALLAHABAD, UTTAR PRADESH-211006   | 0532-2500674, 2504077        |
| 9.           | Allahabad       | ALLAHABAD HINDI SAHITYA SAMMELAN | HINDI SAHITYA SAMMELAN CAMPUS ALLAHABAD - 211 003, UTTAR PRADESH,   | 0532-2403174                 |
| 10.          | Allahabad       | ALLAHABAD KALYANI DEVI           | 187A, ATTARSUIYA GOL PARK, ALLAHABAD - 211 003, UTTAR PRADESH   | 0532-2451496, 2452263        |
| 11.          | Allahabad       | MUNDERA                          | MUNDERA BAZAR, GT ROAD, ALLAHABAD-211012, UTTAR PRADESH   | 0532-2233157                 |
| 12.          | Ambedkar Nagar  | SHAHZADPUR                       | SHAHZADPUR, AKBARPUR, DISTT AMBEDKARNAGAR, UTTAR PRADESH  | 05271-244132                 |
| 13.          | Amroha          | AMROHA                           | BURRABAZAR, AMROHA, DIST. MORADABAD - 244 221, UTTAR PRADESH  | 05922-262160                 |
| 14.          | Auraiya         | AURAIYA                          | HOMESGANJ AURAIYA, DIST. AURAIYA - 206 122, UTTAR PRADESH   | 05683-245142                 |
| 15.          | Azamgarh        | COLLECTORATE AZAMGARH BRANCH     | CAMPUS OF COLLECTORATE OFFICE AZAMGARH, SIDHARI, AZAMGARH, UTTAR PRADESH-276001                                     | 05462-228247                 |
| 16.          | Badaun          | BUDAUN                           | JOGIPURA STATION ROAD, BUDAUN-243601, UTTAR PRADESH   | 05832-224114                 |
| 17.          | Baghpat         | BARAUT                           | JANTA VAIDIK MAHAVIDYALAYA, GHASIRAM GATE KE SAMIP, BARAUT, DISTT. - BAGHPAT, UTTAR PRADESH - 250611                |                              |
| 18.          | Baghpat         | BAGHPAT                          | Near H.P. Petrol Pump; Baghpat Baraut Raod; Baghpat; Uttar Pradesh,   |                              |
| 19.          | Bahraich        | BAHRAICH                         | KOTHARI BHAWAN 23, MEWATIPURA, BAHRAICH - 271 801, UTTAR PRADESH  | 05252-232038                 |
| 20.          | Balia           | RANIGANJ BAZAR                   | ASHOKE MARKET RANIGANJ BAZAR, DIST. BALLIA - 277 208, UTTAR PRADESH   | 05496-263123                 |
| 21.          | Balrampur       | BALRAMPUR RAJ TALKIES            | BALRAMPUR DIST. BALRAMPUR - 271 201, UTTAR PRADESH,   |                              |
| 22.          | Banda           | BANDA                            | GULARNAKA BANDA - 210 006, UTTAR PRADESH  | 5192-220512                  |
| 23.          | Barabanki       | BARABANKI                        | NAKA SATRIK, BARABANKI, UTTAR PRADESH   | 05248-222418 /226458         |
| 24.          | Bareilly        | BAREILLY CIVIL LINES             | CIVIL LINES, POST BOX NO.5 BAREILLY - 243 001, UTTAR PRADESH  | 0581-2423038                 |
| 25.          | Basti           | BASTI                            | SURTI HATTA BASTI STATION ROAD, DIST. BASTI, UTTAR PRADESH  | 05542-282272                 |
| 26.          | Bhinga          | BHINGA (SHRAWASTI)               | DAHANA, NEAR SIRSIIYA BUS STAND, P.O. BHINGA, DIST. SHRAWASTI - 270 831, UTTAR PRADESH                              | 05250-222301                 |
| 27.          | Bijnor          | BIJNOR                           | JAUHARI BHAWAN RAM-KA-CHORHA, BIJNOR - 246 701, UTTAR PRADESH   | 01342-262779                 |
| 28.          | Bulandsahar     | BULANDSHAHR                      | ADJACENT RAJEBABU PARK CIVIL LINES, BULANDSHAHR, DIST. BULANDSHAHR - 203 001, UTTAR PRADESH                         | 05732-254807                 |
| 29.          | C.S.M. Nagar    | GAURIGANJ                        | OPPOSITE SSP OFFICE, NEAR D M BUNGLOW, RAI BAREILY SULTANPUR ROAD, GAURIGANJ, CSM NAGAR, U.P.--227409 UTTAR PRADESH |                              |

|     |             |                                    |  |                          |
|-----|-------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| 30. | Chandauli   | CHANDAULI                          | G.T. ROAD, CHANDAULI, DIST. CHANDAULI, UTTAR PRADESH                               | 0542-2234273             |
| 31. | Chitrakoot  | KARWI                              | NEAR LIC OF INDIA,MISSION ROAD,<br>KARWI,,DIST.CHITRAKOOT - 210 205,UTTAR PRADESH  | 05198-235306,<br>236468  |
| 32. | Deoria      | DEORIA                             | MALVIYA ROAD DEORIA - 274 001,UTTAR PRADESH  | 05568-222825<br>/221211  |
| 33. | Deoria      | BARHAJ                             | BARHAJ DIST. DEORIA - 274 601,UTTAR PRADESH  | 05561-265050             |
| 34. | Etah        | ETAH                               | PO-124,154 G.T.RD,,DIST. ETAH - 207 001,UTTAR PRADESH                              | 05742-233672             |
| 35. | Etawah      | ETAWAH                             | VINOD NAGAR, NAURANGABAD ETAWAH, DIST. ETAWAH - 206 001,UTTAR PRADESH,             | 05688-252516             |
| 36. | Faizabad    | FAIZABAD                           | MOTIBAGH, BAJAJA, FAIZABAD, UTTAR PRADESH  | 05278-222114<br>/223266  |
| 37. | Farrukhabad | FARRUKHABAD                        | CHOWK RAILWAY ROAD FARRUKHABAD,DIST. FARRUKHABAD,UTTAR PRADESH                     | 05692-222510             |
| 38. | Fatehpur    | FATEHPUR                           | 130 HARIHARGANJ FATEHPUR - 212 601,UTTAR PRADESH,                                  | 05180-224555             |
| 39. | Firozabad   | FIROZABAD                          | BYE PASS ROAD, FIROZABAD DIST. FIROZABAD - 283 203,UTTAR PRADESH,                  | 05683-245142             |
| 40. | G.B.Nagar   | NOIDA                              | A-6, SECTOR-10,NOIDA COMPLEX, DIST. G.B.NAGAR, UTTAR PRADESH - 201 301.            | 0120-2533831<br>/2523109 |
| 41. | G.B.Nagar   | NOIDA-SECTOR-44                    | PLOT-A-15/9,10 C. S. C. Sector, DIST.-GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH             | 0120-2430188             |
| 42. | Ghaziabad   | MODINAGAR                          | RAILWAY ROAD, MODINAGAR DIST. GHAZIABAD - 201 204, UTTAR PRADESH,                  | 01232-243532<br>(244617) |
| 43. | Ghaziabad   | HAPUR                              | TEHSIL CHOPLA HAPUR,DIST. GHAZIABAD - 245 101, UTTAR PRADESH                       | 0122-2316834             |
| 44. | Ghaziabad   | GHAZIABAD NAVYUG MARKET            | 55A, NAVYUG MARKET,P.B.NO.12 GHAZIABAD - 201 001, UTTAR PRADESH                    | 0120-2797759/<br>2790030 |
| 45. | Ghazipur    | GHAZIPUR                           | LAL DARWAJA, GHAZIPUR, UTTAR PRADESH   | 0548-2221219             |
| 46. | Gonda       | GONDA                              | BAHRAICH ROAD NEAR BUS STAND,DIST. GONDA, UTTAR PRADESH                            | 05260-276324             |
| 47. | Gorakhpur   | GORAKHPURNATH,<br>GOIRAKHPUR       | G. N. NATIONAL PUBLIC SCHOOL; GORAKHNATH,<br>GORAKHAPUR, UTTAR PRADESH, PIN-273015 |                          |
| 48. | Gorakhpur   | MOHADDIPUR                         | MOHADDIPUR KASHYA ROAD, P.O.-KURAGHAT,DIST.- GORAKHPUR , UTTAR PRADESH, PIN-273008 | 0551-2204245             |
| 49. | Gorakhpur   | DHARMASHALA BAJAR,<br>GORAKHPUR    | SUMER SAGAR ROAD, DHARMASHALA BAJAR,<br>GORAKHPUR , UTTAR PRADESH, Pin-273001      | 0551-2336109             |
| 50. | Gorakhpur   | MISHRAULI                          | BARHALGANJ, DISTT: GORAKHPUR, UTTAR PRADESH, PIN:-273402                           | 05525-280068             |
| 51. | Hamirpur    | HAMIRPUR (U P)                     | KING ROAD GWALTOLI,P.O. & DIST. HAMIRPUR-210 301, UTTAR PRADESH                    | 5282-222364              |
| 52. | Hardoi      | HARDOI                             | RAILWAY GANJ HARDOI - 241 001, UTTAR PRADESH                                       | 05852-234252             |
| 53. | Hatras      | HATHRAS ((MAHAMAYA NAGAR)          | SASNI GATE HATHRAS CITY,DIST. HATRAS - 204 101, UTTAR PRADESH                      | 05722-230725             |
| 54. | Jalaun      | JALAUN KRISHIUTPA--DANMANDI SAMITY | JALAUN MANDI SAMITY, DIST. JALAUN , UTTAR PRADESH, PIN-285123                      | 05168-222746             |
| 55. | Jalaun      | DAYANAND VAIDIK COLLEGE ORAI       | NAYA RAMNAGAR, ORAI, DIST - JALAUN, UTTAR PRADESH, PIN -285001                     | 05162-250379             |
| 56. | Jaunpur     | JAUNPUR                            | P.O. JAHANGIRABAD - 222 002 DIST. JAUNPUR, UTTAR PRADESH                           | 05452-262897             |
| 57. | Jhansi      | JHANSI                             | 92, CIVIL LINES JHANSI-284 001, UTTAR PRADESH                                      | 0510-2471567             |
| 58. | Jhansi      | JHANSI DIVISIONAL JAL SANSTHAN     | 517, CIVIL LINES, GWALIOR ROAD, JHANSI, UTTAR PRADESH - 284003 UTTAR PRADESH       | 0510-2443076             |
| 59. | Kannauj     | MAKRAND NAGAR (KANNAUJ)            | G.T. ROAD, MAKRAND NAGAR, DIST - KANNAUJ,- UTTAR PRADESH, PIN-209726               | 05694-234325             |
| 60. | Kanpur      | KANPUR MAIN                        | 15/287, CIVIL LINES POST BOX NO. 2, KANPUR NAGAR , UTTAR PRADESH, PIN-208001       | 0512-2304411             |
| 61. | Kanpur      | KANPUR LAKHANPUR                   | 119-A, VIKAS NAGAR LAKHANPUR, KANPUR NAGAR , UTTAR PRADESH, PIN-208017             | 0512-2580344             |

|     |                 |   |   |                            |
|-----|-----------------|---|---|----------------------------|
| 62. | Kanpur          | KANPUR KAKADEO  | 117/N/43, ARUN MARKET, COMMERCIAL BLOCK, P.O. KAKADEO, KANPUR NAGAR , UTTAR PRADESH, PIN-208005 UTTAR PRADESH | 0512-2501172               |
| 63. | Kanpur Dehat    | RANIA (KANPUR DEHAT)                                  | VILL & P.O. RANIA, BLOCK SARVAN KHERA, DIST - KANPUR DEHAT , UTTAR PRADESH, PIN-209304                        | 05111-291449               |
| 64. | Kanshiram Nagar | KASGANJ   | PANKHAWALA BAGH NANDRAI GATE , KASGANJ 207123,KANSHIRAM NAGAR,UTTAR PRADESH                                   |                            |
| 65. | Kaushambi       | MANJHANPUR (KAUSHAMBHI)                               | PLOT NO 160, MAUZA MANJHANPUR, PARGANA - KARARI, MANJHANPUR, KAUSHAMBI, UTTAR PRADESH- 212207                 |                            |
| 66. | Kushinagar      | PADRAUNA (KUSHINAGAR)                                 | HIG PLOT NO-10 TULSIWAS COLONY PHASE-2, RAMKOLA ROAD, PADRAUNA, DISTT.-KUSHINAGAR UTTAR PRADESH               |                            |
| 67. | Lakhimpur Kheri | LAKHIMPUR   | SADAR CHAURAHA LAKHIMPUR,DIST. LAKHIMPUR KHERI-262 701,UTTAR PRADESH  | 05872-252502               |
| 68. | Lalitpur        | LALITPUR  | AZAD CHOWK, DIST-L ALIT PUR, UTTAR PRADESH,   | 05176-274775               |
| 69. | Lucknow         | LUCKNOW HAZARATGANJ                                   | HAZATARGANJ, POST B OX NO.9 LUCKNOW-226 001,,UTTAR PRADESH  |                            |
| 70. | Lucknow         | LUCKNOW ALAMBAGH                                      | 551/Jha/172, Ram Nagar, Alambagh, LUCKNOW, UTTAR PRADESH  | 0522-2451589               |
| 71. | Lucknow         | LUCKNOW INDRANAGAR                                    | A-869, INDERA NAGAR ,LUCKNOW, UTTAR PRADESH   | 0522-2345420, ,2348223     |
| 72. | Lucknow         | LUCKNOW CITY  | 311/3, KAMALA NE HRU MARG CHOWK LUCKNOW - 226 003, UTTAR PRADESH  | 2255716/ 2255923           |
| 73. | Lucknow         | LUCKNOW JANAKIPURAM                                   | ADARSH COMPLEX, ENGINEERING COLLEGE CROSSING, SECTOR-E, RING ROAD, JANKIPURAM, LUCKNOW, UTTAR PRADESH         | 0522-2731976               |
| 74. | Lucknow         | LUCKNOW K G MEDICAL COLLEGE                           | CHATRPATI SAHU JI MAHAR AJMEDICAL UNIVERSITY CAMPUS, LUCKNOW, UTTAR PRADESH                                   | 0522-2258479               |
| 75. | Lucknow         | LUCKNOW RAJAJIPURAM                                   | 2-CP/219, NEW NATIONAL COMPLEX, E-BLOCK, RAJAJIPURAM, LUCKNOW, UTTAR PRADESH                                  | 0522-2418933               |
| 76. | Lucknow         | LUCKNOW SAINIK NAGAR                                  | IN FRONT OF GANGA SINCHAI BHAWAN, SAINIK NAGAR, TELIBAGH, LUCKNOW-226005, UTTAR PRADESH                       | 0522-2440876               |
| 77. | Lucknow         | LUCKNOW VIVEK KHAND                                   | 4/525, VIVEK KHAND-4, GOMTI NAGAR, LUCKNOW, UTTAR PRADESH   | 0522-2396465               |
| 78. | Maharajganj     | P. G. COLLEGE, MAHARAJGANJ                            | J. L. N. S. P. G. COLLEGE, MAHARAJ GANJ, DIST.- MAHARAJGANJ, UTTAR PRADESH, PIN-273303                        | 05523-223080               |
| 79. | Mahoba          | MAHOBA  | FEEDER ROAD MAHOBIA, DIST. HAMIRPUR - 210 427, UTTAR PRADESH  | 5281-244114                |
| 80. | Mainpuri        | MAINPURI  | STATION ROAD MAIN PURI - 205 001, UTTAR PRADESH,  | 05672-234379               |
| 81. | Mathura         | MATHURA   | TILAK DWAR MATHURA - 281 001, UTTAR PRADESH,  | 0565-2501547               |
| 82. | Mau             | MAUNATH BHANJAN                                       | CHOWK, MAUNATH BHANJAN DIST. MAU, UTTAR PRADESH   | 0547-2220187               |
| 83. | Meerut          | SIR CHHOTURAM INSTITUTE OF ENGG. & TECHNOLOGY, MEERUT | SIR CHHOTURAM INSTITUTE OF ENGG. & TECHN UNIVERSITY ROAD NEAR JAIL CHUNGI, MEERUT 250004, UTTAR PRADESH       |                            |
| 84. | Meerut          | MEERUT CITY   | AHMED RD, OPP-DAFRIN HOSPITAL, MEERUT - 250 002, UTTAR PRADESH  | 0121-2422641               |
| 85. | Meerut          | MEERUT BEGUM BRIDGE                                   | NEAR LABOUR OFFICE, BEGUM BRIDGE ROAD, MEERUT CITY - 250 002, UTTAR PRADESH                                   |                            |
| 86. | Meerut          | RITHANI DELHI ROAD                                    | RITHANI DELHI ROAD, PARTAPUR, MEERUT, P.O.- RITHANI, UTTAR PRADESH,   |                            |
| 87. | Mirzapur        | MIRZAPUR  | DANKIN GANJ DIST. MIRZAPUR - 231001, UTTAR PRADESH  | 05442-220571               |
| 88. | Moradabad       | MORADABAD CIVIL LINE                                  | CIVIL LINES, POST BOX NO-5 MORADABAD - 244 001, UTTAR PRADESH   | 0591-2417826 - 2425572     |
| 89. | Moradabad       | MORADABAD INTERNATIONAL                               | PURI MARKET COUNT ROAD, MORADABAD, UTTAR PRADESH -244001  | 0591-2414769/ 2414771/5056 |

|      |                    |  |   |                          |
|------|--------------------|--|---|--------------------------|
| 90.  | Muzaffar nagar     | SHAMLI                                   | DHIMANPURA, SHAMLI KAIRANA RD, SHAMLI, DIST. MUZAFFARNAGAR, UTTAR PRADESH- 247 776,       | 01398-251641             |
| 91.  | Muzaffar nagar     | MUZAFFARNAGAR K N MANDI ASTHAL           | C 15/16, KUKRA NAVIN MANDI ASTHAL,<br>MUZAFFARNAGAR, UTTAR PRADESH,                       | 0131-2604074             |
| 92.  | Pilibhit           | PILIBHIT                                 | J.P. ROAD PILIBHIT, UTTAR PRADESH   | 05882-255634             |
| 93.  | Pratapgarh         | PRATAPGARH                               | 70, GURU NANAK MARKET CHOWK,, DIST.- PRATAPGARH, UTTAR PRADESH                            | 05342-220551,<br>228949  |
| 94.  | Raebareli          | RAI BARELI                               | STATION ROAD RAI BAREILI - 229 001, UTTAR PRADESH   | 0535-2212882<br>/2210810 |
| 95.  | Rampur             | RAMPUR                                   | MESTONGANJ RAMPUR - 244 901, UTTAR PRADESH  | 0595-2350268             |
| 96.  | Saharanpur         | SAHARANPUR                               | 1188/2 LIBERTY HOTEL PREMISES, SAHARANPUR - 247 001, UTTAR PRADESH                        | 0132-2729015             |
| 97.  | Sant Kabir Nagar   | KHALILABAD GOLA BAZAR (SANT KABIR NAGAR) | 236, GOLA BAZAR KHALILABAD, DIST. SANT KABIR NAGAR, UTTAR PRADESH                         | 05547-222090             |
| 98.  | Sant Ravidas Nagar | BHADOHI                                  | STATION ROAD, BHADOHI DIST. SANT RAVIDAS NAGAR, UTTAR PRADESH                             | 05414-224227             |
| 99.  | Shahjahanpur       | SHAHJAHANPUR                             | GOVIND GANJ SHAHJAHANPUR - 242 001, UTTAR PRADESH   | 05842-222231             |
| 100. | SidhhARTH Nagar    | NAUGARH (SIDDHARTH NAGAR)                | BANK ROAD, SHASTRI NAGAR, NAUGARH, DISTT.- SIDHARTH NAGAR, UTTAR PRADESH                  | 05544-2226443            |
| 101. | Sitapur            | SITAPUR                                  | CIVIL LINES SITAPUR - 261 001, UTTAR PRADESH  | 05862-271075             |
| 102. | Sitapur            | SITAPUR LALBAGH                          | SEHGAL BUILDING LALBAGH CROSSING MAIN MARKET, SITAPUR CITY, DIST. SITAPUR, UTTAR PRADESH  | 05862-270834             |
| 103. | Sonebhadra         | ROBERTSGANJ (SONEBHADRA)                 | MAIN ROAD ROBERTSGANJ, DIST. SONBHADRA - 231 216, UTTAR PRADESH                           | 05444-224229             |
| 104. | Sultanpur          | SULTANPUR                                | 15, CIVIL LINES SULTANPUR, UTTAR PRADESH  | 05362-222422<br>, 223266 |
| 105. | Unnao              | UNNAO                                    | 376, JAWAHAR NAGAR CHHOTA CHAURAHA, UNNAO, UTTAR PRADESH                                  | 0515-2820494             |
| 106. | Varanasi           | VARANASI NADESAR                         | TAKSAL THEATRES BUILDING (GROUND FLOOR), NADESAR, DIST. VARANASI - 221 002, UTTAR PRADESH | 0542-2505039             |
| 107. | Varanasi           | VARANASI SANSKRIT UNIVERSITY             | RAM KATORA, LAHURABIR, VARANASI - 221 002, UTTAR PRADESH                                  | 0542-2207625             |
| 108. | Varanasi           | RAVINDRA PURI COLONY                     | INFRONT OF TULSI MANAS MANDIR, BHU ROAD, VARANASI, UTTAR PRADESH                          | 0542-2315572             |